न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 23/2017

उनवान

1. सूरजकरण पुत्र चन्दा कुम्हार निवासी तिलाना, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गणेश,
2. पांची पिता मादू
3. गोपाल,
4. शिवराज,
5. सांवरलाल पिता दयाल समस्त जातिं माली नि. तिलाना, नसीराबाद
6. उपपंजीयन अधिकारी नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद
6 व 7 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 16.1.20

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना के निम्न खसरा नम्बर उसके कयशुदा है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3397	8–9–0	2343	0.34
		2344	0.41
		2345	0.24
		2346	0.21
		2347	0.16
		2320	0.11
2240	0–13–0		

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त आराजी में चौसाला खसरा नम्बर 2771 के वर्किंग खसरा नम्बर 3397 रकबा 8–9–0 में से 0–11–0 में विक्रता रामदेव पुत्र मादू कुम्हार का हक व हिस्सा 0–11–0 व चौसाला खसरा नम्बर 1721 के वंर्किंग खसरा नम्बर 224 रकबा 0–13–0 के खातेदार रामदेव पुत्र मादू से प्रार्थी सुरजकरण में उक्त आराजी जरियें पंजीकृत विकय पत्र कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2343/0.34, 2344/0.41, 2345/0.24, 2346/0.21, 2347/0.16, में से 0.11 व 2320/0.11 का नियमानुसार प्रार्थी के नाम बैनाम से खातेदारी अंकन करने के बजाय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को बैचान कर दी जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नांटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा श्रीमती गलकू, गणेशी, पांची पुत्रिया मादू के नाम दर्ज थी एवं नामान्तकरण संख्या 767/20.2.16 से विकय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज की गयी। प्रार्थी के विकय पत्र व जमाबंदी का मिलान नही होता है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण 3 से 5 ही काबिज चले आ रहे है। रामदेव के वारिसान द्वारा उक्त आराजी विधिवत विकय की है। वर्ष 1973 से विकय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में क्यो नही करवायी गयी? इस बाबत प्रार्थी ने अपने प्रार्थन पत्र में स्पष्ट नही किया है। प्रार्थी पूर्व व हाल राजस्व अभिलेख में खातेदार नही है। अतः अस्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नही है। प्रार्थी का विकय पत्र 2.11.73 भू संशोधन जमाबंदी से होने व व भू संशोधन जमाबंदी को राज्य सरकार द्वारा मान्यता नही होने से प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः अप्रार्थीगण का प्रांर्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में आदेश निम्नानुसार किया जाता है :–

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 2343/0.34, 2344/0.41, 2345/0.24, 2346/0.21, 2347/0.16, में से 0.11 व 2320/0.11 राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी पर प्रार्थी खातेदार दर्ज नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र उक्त आराजी का विकय अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को किया है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजी उसकी खातेदारी की है वही अप्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का विकय पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—3

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिया है किन्तु उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र वर्तमान में निरस्त नही किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी की कयशुदा है। अप्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण उनके द्वारा उक्त आराजी का बैचान नही हो सकता दोनो ही पक्ष आराजी मुतनाजा पर अपना–अपना कब्जा होने का कथन करते है जिसका निर्णय मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रार्थी आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व नही कर पाये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किये जाने से प्रार्थी को क्या अपूरणीय क्षति की संभावना है यह प्रार्थी सिद्व करने में असफल रहा है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के विपक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम तिलाना की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.02.11 17:07:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: